

कार्यालय,

राज्य प्राथमिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश सरकार।

संख्या - प्राथम/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

:-कार्यालय द्वारा:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/राज्यीय अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा सैक्रिक सत्र 2021-22 हेतु दिल्लीय राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुसूचित प्रदान किए जाने के उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 05/08/2021 को परिषद-कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अर्थात् नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्ण से संबन्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ लैंगिक श्रमता वृद्धि पठित तथा कर्मी पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में निर्दिष्ट पत्र निर्देश के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं इसमें अतिरिक्त लैंगिक श्रमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का पते का पूरा नाम : 2768-RAJAT TECHNICAL COLLEGE OF EDUCATION CHANDANPUR,ZAFARGANJ MAIN AKBARPUR MALIPUR ROAD,AMBEDKAR NAGAR-224145			
क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आइ0सी0टी0ई0/सी0सी0आइ0 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुसूचित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुसूचित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आइ0सी0टी0ई0/सी0सी0आइ0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, संशोधित विनियमवली 2016 तथा अन्य निर्दिष्ट विधायी एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों द्वारा पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- अर्थात्, दो वर्षों परमैरी पाठ्यक्रम हेतु रु० 15000.00/- अर्थात् एवं एक तथा दो वर्षों पाठ्यक्रमों (दो वर्षों परमैरी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु० 21500.00/- अर्थात् शुल्क ही प्रत्येक वर्ष/वर्षों से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्रों से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर वास्तव द्वारा निर्णय किये जाने वाले शासनादेश सम्बन्धी होंगे, और तदनुसार कार्रवाई किया जाना आवश्यक होगा। लैंगिक शिक्षा समिति द्वारा पत्र सत्र 2021-22 हेतु पीस का पुनर्निर्माण किया जाता है, जो पीस की नवीकरण एवं लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद तथा उत्तर प्रदेश सरकार) विनियमवली 2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित शर्तों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटी के दिनांक शुरू करने की तिथि में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।

- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत सामग्रीयों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता सुनिश्चित करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/कारणदोषों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये निर्देशों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कॉमर्सी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी सी आई, नई दिल्ली में अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संस्था में समस्त उल्लेखित संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिये संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, अधिनियम शिक्षा विभाग एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को कोई बंध दापर किया जाता है तथा दापर बंध के संस्था में का. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो संस्था प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कॉमर्सी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिये आवेदनित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम अधिकांश निर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने कैंपस पर संस्था की समस्त सुविधाएं जैसे- संस्था की ऐडिड/नॉन-ऐडिड भूमि, भवन, साज-सज्जा, उपकरण, प्रायः किया जाने वाला सुनिश्चित, छात्रावास सुनिश्चित आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रविष्टि हेतु उपयुक्त सागठन उपलब्ध कराने के साथ पेंशन टोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रवर्तित/ संचालित पाठ्यक्रम को बनाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध बनाये गये अधिनियम, भूमि-भवन, कर्तव्य, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिये कर रही है तो सरकार संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थायी निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, पर्यवेक्षण, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पू०सी०- आशिया/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिपिपि-

प्रधानाचार्य/निर्देशक, RAJAT TECHNICAL COLLEGE OF EDUCATION CHANDANPUR, ZAFARGANJ MAIN
AKBARPUR MALIPUR ROAD, AMBEDKAR NAGAR-224145



(सुदीप कुमार सोनकर)

महिम्न

